*भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए सुदृढ़ भविष्य का निर्माण**

शक्तिकान्त दास

मुझे भारतीय रिज़र्व बैंक के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स द्वारा वित्तीय लचीलापन पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में भाग लेने के लिए शोधकर्ताओं और पेशेवरों के बीच यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं इस सम्मेलन के आयोजन के लिए कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स (सीओएस) की सराहना करता हूं। मैं पिछले दो वर्षों में सीओएस को उसकी उपलब्धियों के लिए भी बधाई देता हूं।

कोविड-19 महामारी, यूक्रेन में युद्ध और वित्तीय क्षेत्र पर अमेरिका और यूरोप में हाल की बैंकिंग क्षेत्र की घटनाओं के समग्र प्रभाव के संदर्भ में, अब वित्तीय लचीलापन और स्थिरता के मुद्दों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। दुनिया भर के विनियामक और सरकारें अब इन पहलुओं को अधिक तीव्रता के साथ देख रही हैं। मौजूदा विनियमों और पर्यवेक्षी प्रणालियों की पर्याप्तता का नए सिरे से मूल्यांकन किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में, वित्तीय लचीलापन पर यह वैश्विक सम्मेलन बहुत उपयुक्त और समयोचित है।

किसी देश में वित्तीय क्षेत्र और उसमें व्यक्तिगत संस्थाओं, जैसे बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं, को हर समय लचीला रहना जरूरी है। उनके पास सबसे तनावपूर्ण समय का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति होनी चाहिए। जहां तक भारत का संबंध है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के संबंध में अपने विनियमों और पर्यवेक्षण को काफी मजबूत किया है। हमारा दृष्टिकोण लचीलेपन के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र की मजबूती को बढ़ाने के लिए रहा है ताकि व्यक्तिगत संस्थाएं तनावपूर्ण परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें और देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में योगदान देना जारी रख सकें। आज अपने संबोधन में मैं भारतीय वित्तीय प्रणाली के हितधारकों से भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में, केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। केंद्रीय बैंकों को वित्तीय संकट के दौरान अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करने का भी अधिकार है। बैंकों और अन्य वित्तीय बाजार की संस्थाओं को आपातकालीन चलनिधि सहायता प्रदान करने के इस ऐतिहासिक कार्य के लिए आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक अस्थिरता के संकेत मिलने पर बैंकों और वित्तीय बाज़ारों पर कड़ी नजर रखें। इसके अलावा, मौद्रिक नीति बड़े पैमाने पर बैंकों और वित्तीय बाजारों के माध्यम से लागू की जाती है। वास्तविक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का संचरण मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों के सुचारू संचालन के साथ-साथ बैंकों और एनबीएफसी जैसे वित्तीय मध्यस्थों पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में केंद्रीय बैंकों के प्रमुख और पूरक कार्य, जैसे ब्याज दर तय करना, चलनिधि प्रबंधन, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों पर विनियमन और पर्यवेक्षण, अधिक आवश्यक हो जाते हैं। ये कार्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय संस्थानों के बीच जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

अब मैं विशेष रूप से 'लचीलापन' की अवधारणा की ओर मुड़ता हूं जो आज के सम्मेलन का विषय है। प्रणालीगत लचीलापन व्यक्तिगत वित्तीय संस्थानों के लचीलेपन के साथ-साथ उनके बीच परस्पर निर्भरता, दोनों पर आधारित है।

भविष्य के लिए लचीला रहने के लिए तैयार बैंक को वित्तीय, परिचालन और संगठनात्मक रूप से लचीला होना चाहिए। वित्तीय रूप से लचीला होने के लिए, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी बफर होना चाहिए और गंभीर समष्टि-आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) झटकों के समय भी अर्जन उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त चलनिधि भी होनी चाहिए। इसलिए वित्तीय लचीलापन बैंक के व्यापार मॉडल और रणनीति से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसी कारण से रिज़र्व बैंक ने बैंकों के कारोबारी मॉडल को ज्यादा

* भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स द्वारा आयोजित *ग्लोबल कॉन्फरेंस ऑन फिनान्शियल रिज़िलियन्स* में दिया गया भाषण। - 27 अप्रैल 2023 - मुंबई

बारीकी से देखना शुरू किया है। व्यवसाय मॉडल का कोई पहलू या कमियां ही किसी समय संकट पैदा कर सकती हैं। हमने न केवल पूंजी पर्याप्तता और चलनिधि अनुपात के लिए विनियामकीय मानदंड निर्धारित किए हैं, बल्कि बैंकों को अच्छे समय में और समय रहते पूंजी बफर बनाने के लिए भी प्रेरित किया है। हमने कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा किया था जब बहुत अधिक चलनिधि उपलब्ध थी, ब्याज दरें कम थीं और वित्तीय क्षेत्र पर महामारी का पूरा प्रभाव अभी भी अत्यधिक अनिश्चित था।

रिज़र्व बैंक ने विभिन्न विवेकपूर्ण विनियामकीय ढांचे भी स्थापित किए हैं। इनमें पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान आवश्यकताएं, लाभांश वितरण ढांचा और चलनिधि प्रबंधन ढांचा शामिल हैं। इसके अलावा रिज़र्व बैंक समय-समय पर प्रणालीगत स्तर पर निर्मित जोखिमों से निपटने के लिए समष्टि विवेकपूर्ण (मैक्रोप्रूडेंशियल) उपायों को भी लागू करता है। रिज़र्व बैंक और स्वयं बैंकों, दोनों, द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, भारतीय बैंकिंग प्रणाली लचीली बनी हुई है और कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हाल ही में देखी गई वित्तीय अस्थिरता का प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। यह हमारे हालिया तनाव परीक्षण परिणामों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल एनपीए अनुपात दिसंबर 2022 के अंत में 4.41 प्रतिशत था, जो 31 मार्च 2022 को 5.8 प्रतिशत और 31 मार्च 2021 को 7.3 प्रतिशत था। दिसंबर 2022 के अंत में सीआरएआर 16.1 प्रतिशत था, जो न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से बहुत अधिक है। ऋण जोखिम संबंधी किए गए मैक्रो तनाव परीक्षण से संकेत मिलता है कि एससीबी गंभीर तनाव परिदृश्यों के तहत भी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम होंगे।

फिर भी, अमेरिका और यूरोप के बैंकिंग परिदृश्य में हाल की घटनाओं से पता चलता है कि बैंक के लिए जोखिम उसकी बैलेंस शीट के ऐसे खंडों से उत्पन्न हो सकता है जिन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित माना गया हो। इसलिए, हम अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल वित्तीय जोखिमों का लगातार आकलन करे और लचीलापन बनाए रखने और सतत संवृद्धि के लिए विनियामकीय न्यूनतम से परे भी पर्याप्त पूंजी और चलनिधि बफर बनाने पर ध्यान केंद्रित करे।

अब मैं परिचालनिक लचीलेपन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। परिचालनिक लचीलेपन का तात्पर्य यह है कि बैंक के समक्ष व्यवधान होने पर भी उसे महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक इस तरह के व्यवधानों का संबंध है, साइबर जोखिम और संभावित साइबर हमले ऐसी सूची में सबसे ऊपर हैं।

वित्तीय संस्थानों के वैश्विक सर्वेक्षण[1] के आधार पर 2023 के लिए शीर्ष दस परिचालन जोखिमों में साइबर जोखिम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) ने 2021 में परिचालन जोखिम के ठोस प्रबंधन के सिद्धांतों को संशोधित करते हुए इस जोखिम के महत्व को दर्शाते हुए 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) जोखिम प्रबंधन' पर एक विशिष्ट सिद्धांत पेश किया। मजबूत आईटी और सूचना सुरक्षा प्रशासन से पूर्वानुमान बढ़ाने और परिचालन में अनिश्चितता को कम करने, सूचना सुरक्षा से संबंधित घटनाओं से नुकसान को कम करने और परिचालनिक लचीलापन बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं द्वारा किए जा रहे आउटसोर्सिंग के व्यापक स्तर को देखते हुए, यह सुनिश्चित करने की और भी अधिक आवश्यकता है कि इस संबंध में प्रभावी नीतियां और प्रथाएं मौजूद हैं। यहां तक कि जी20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर तीसरे पक्ष की निर्भरता से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में बैंकों और अन्य पर्यवेक्षित संस्थाओं में आईटी और साइबर सुरक्षा शासन प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए फिशिंग सिमुलेशन और साइबर सर्वेक्षण अभ्यास जैसी तकनीकों के साथ-साथ उन्नत विश्लेषणात्मक और निगरानी उपकरणों के उपयोग के साथ कई उपाय किए हैं। प्रौद्योगिकी और आईटी-सक्षम सेवाएं प्रदान करने वाले तीसरे पक्ष पर निर्भरता से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों के संबंध में विनियमित संस्थाओं (आरई) के बढ़ते जोखिम के संदर्भ में रिज़र्व बैंक ने हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को बैंकों, एनबीएफसी

[1] स्रोत: Risk.Net

और अन्य आरई द्वारा की जा रही सूचना प्रौद्योगिकी आउटसोर्सिंग पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए लचीलापन का तीसरा घटक संगठनात्मक स्तर पर लचीला होना है ताकि वे जोखिमों का अनुमान जल्दी लगा सकें और कुशलतापूर्वक उसको निपटा सकें। संगठनों में प्रतिकूल घटनाओं से खुद को बचाने और अपनी बैलेंस शीट को सुरक्षित रखने की क्षमता और लचीलापन होना चाहिए। संगठनात्मक लचीलापन प्राप्त करने के लिए विनियमित संस्थाओं को नीतियों, प्रक्रियाओं, संगठनात्मक संस्कृति और अभिशासन को मानकीकृत करके लगातार विकसित करने की आवश्यकता है। उन्हें संगठन के भीतर विविध विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए।

रिज़र्व बैंक की विनियामकीय और पर्यवेक्षी रणनीति के स्तंभ

बैंकिंग प्रणाली सहित भारतीय वित्तीय प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करने की हमारी रणनीति में एक महत्वपूर्ण तत्व पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्वारा स्थापित मजबूत और उन्नत विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचा है। विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए हमारा वर्तमान दृष्टिकोण प्रमुखत: तीन स्तंभों पर बना है।

सबसे पहले, हाल के वर्षों में हमारे प्रमुख क्षेत्रों में से एक विनियमित संस्थाओं के भीतर अभिशासन और आश्वासन कार्यों को मजबूत करना रहा है। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता प्रभावी अभिशासन पर गंभीर रूप से निर्भर करती है, ताकि सभी हितधारकों, विशेष रूप से जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। सुशासन का सार तत्व विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का वातावरण बनाना है। जमाकर्ता, जिनका पैसा बैंकों के संसाधनों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, अपनी जीवन भर की बचत और कड़ी मेहनत की कमाई को बैंकों के पास रखते हैं। इसलिए जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा एक पवित्र कर्तव्य है जिसे सुशासन के माध्यम से पूरा किया जाना है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। रिज़र्व बैंक इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देता है कि विनियमित संस्थाओं में ऐसी प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हों जो सुदृढ़ कारपोरेट अभिशासन को बढ़ावा देती हों। बैंकों में आश्वासन कार्य यानी जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षा अभिशासन और व्यवसाय के बीच महत्वपूर्ण लिंक हैं। आश्वासन कार्य बोर्ड के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधन को यह पता लगाने में सहायता करते हैं कि बैंक या एनबीएफसी के व्यावसायिक संचालन बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों और रणनीतियों के अनुरूप चलाए जा रहे हैं या नहीं। रिज़र्व बैंक ने अभिशासन और आश्वासन कार्यों की गुणवत्ता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों को गहन पर्यवेक्षी मूल्यांकन के अधीन भी रखा गया है।

दूसरा, हमने कमजोरियों के मूल कारणों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए प्रयास किए हैं। कई बार कमजोरियां बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित व्यापार मॉडल से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, अति-आक्रामक विकास रणनीतियाँ या निचले स्तर की नासमझी अक्सर भविष्य की समस्याओं के पूर्व कारक होते हैं। हालांकि हम व्यावसायिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, विनियमित संस्थाओं की स्थिति से दिखना चाहिए कि उनके आंतरिक नियंत्रण और हानि अवशोषण क्षमता उनके व्यावसायिक मॉडल से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। हमारा दृष्टिकोण इस क्षेत्र की कमियों को अलग-अलग संस्थानों के वरिष्ठ प्रबंधन या निदेशक मंडल को उपचारात्मक कार्रवाई के लिए ध्यान दिलाना है। हम बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ भी संपर्क में रहते हैं और सुरक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में उनकी भूमिका के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर उन्हें ध्यान दिलाते हैं। हाल के दिनों में, 'मूल कारण' पर ध्यान केंद्रित करने से हमें कुछ हाउसकीपिंग सुधार को अनिवार्य करना पड़ा है जैसे कि अनर्जक ऋणों की स्वचालित पहचान और प्रावधान, आंतरिक और कार्यालय खातों के उपयोग में उचित नियंत्रण, धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) और आईटी तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित नियंत्रण आदि का कार्यान्वयन।

तीसरा, रिज़र्व बैंक के भीतर हमने अपने पर्यवेक्षी विश्लेषण को काफी मजबूत किया है। हम संभावित और उभरते जोखिमों, दायरे से बाहर की संस्थाओं और बैंकों के बड़े किंतु कमजोर ऋणों

[2] सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश

को पहचानने के लिए डेटा एनालिटिक्स - मैक्रो और माइक्रो, दोनों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे ऑनसाइट पर्यवेक्षक ऑफसाइट पर्यवेक्षण टीमों द्वारा इंगित चिंता वाले क्षेत्रों की गहराई से जांच करते हैं। अब हम आंतरिक पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / मशीन लर्निंग (एआई और एमएल) सहित उन्नत विश्लेषणात्मक आधारित तकनीकी समाधानों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हमारे पास प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की एक प्रणाली है जो जोखिम निर्माण के प्रमुख संकेत प्रदान करती है। तनाव परीक्षण भी निरंतर आधार पर किए जाते हैं। ये तनाव परीक्षण न केवल व्यक्तिगत संस्थाओं को शामिल करते हैं, बल्कि प्रणालीगत तनाव को भी शामिल करते हैं।

जहां आस्ति की गुणवत्ता और पूंजी की स्थिति वित्तीय संस्थानों की मध्यम अवधि के लचीलेपन और मजबूती का संकेत देती है, वहीं चलनिधि को अक्सर संकट के तत्काल कारण के रूप में देखा जाता है। हम अपनी इकाइयों की चलनिधि की स्थिति की बहुत बारीकी से निगरानी करते हैं और यदि कोई विचलन होता है, तो उसे उपचारात्मक उपायों के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ तुरंत उठाया जाता है। इस प्रकार, पर्यवेक्षण के मामले में हमारा पूरा दृष्टिकोण अचानक होने वाली घटनाओं का कम करने, चिंताओं को पहचानने और कमजोरियों को शीघ्रतापूर्वक ठीक करने के लिए रहा है।

संक्षेप में, रिज़र्व बैंक के भीतर पर्यवेक्षी व्यवस्था का एकीकरण (अर्थात, वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग में जोड़ना); स्वामित्व निष्पक्ष और जोखिम-केंद्रित पर्यवेक्षण; सामयिक पर्यवेक्षण से निरंतर पर्यवेक्षण में बदलाव; डेटा एनालिटिक्स और सुपटेक समाधानों की मदद से ऑफ-साइट निगरानी; बेहतर ऑन-साइट पर्यवेक्षण; समस्याओं के मूल कारण का विश्लेषण और दायरे से बाहर की संस्थाओं की पहचान; और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशिष्ट निगरानी रखना हमारी पर्यवेक्षी रणनीति का प्रमुख आधार रहा है।

रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में एनबीएफसी और यूसीबी में अभिशासन, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा और अनुपालन कार्यों को मजबूत करने के लिए कई विनियामकीय पहलें भी की हैं। इनमें अक्टूबर 2021 में जारी एनबीएफसी के लिए नया स्केल आधारित विनियामकीय ढांचा और जुलाई 2022 में जारी यूसीबी के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा शामिल है। इन नए विनियामकीय ढांचों को लाने से पहले हमने कुछ उपाय किए थे जैसे कि - बड़ी एनबीएफसी में मुख्य जोखिम अधिकारियों (सीआरओ) और मुख्य अनुपालन अधिकारियों (सीसीओ) की नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी करना; ₹5000 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली एनबीएफसी के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात; बड़ी एनबीएफसी (₹5000 करोड़ और उससे अधिक की आकार वाली) और ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्तिआकार वाले यूसीबी के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) मानदंड; और वाणिज्यिक बैंकों के समान एनबीएफसी और यूसीबी के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर दिशानिर्देशों को सुसंगत बनाना।

प्रभावी आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षा का महत्व

अब मैं वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रभावी आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षा के महत्व पर बात करना चाहूंगा। यह कोई छिपी बात नहीं है कि अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों की स्थिरता और विकास हितधारकों के बीच विश्वास पर निर्भर है। भविष्य तत्पर होने के लिए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने वर्तमान और संभावित ग्राहकों, दोनों का विश्वास अर्जित करने की आवश्यकता है। कोई भी 'विश्वास' को हल्के में नहीं ले सकता। अर्थव्यवस्था के अधिक खुलेपन और प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण सूचना और पूंजी प्रवाह के तेजी से प्रसारण के साथ, प्रणाली में विश्वसनीयता और विश्वास सुनिश्चित करना और भी आवश्यक हो गया है। इस उद्देश्य के लिए, हितधारकों को स्वतंत्र मूल्यांकन और आश्वासन प्रदान करने के लिए कि विनियमित इकाई का संचालन निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है, आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से एक मजबूत आश्वासन तंत्र आवश्यक है। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर बाजार के विश्वास को बनाए रखने में सांविधिक लेखा परीक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकिंग उद्योग में यह सार्वजनिक भूमिका वित्तीय स्थिरता के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि बैंकों के पास सार्वजनिक जमाराशियां रखी होती हैं। लेखा परीक्षण की गुणवत्ता इस सार्वजनिक भूमिका की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। इन

कारणों से, पर्यवेक्षक के रूप में रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकरण में गहरी रुचि है। जहां भी आवश्यक हो, हम अलग-अलग बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में महत्वपूर्ण प्रकृति के मुद्दों पर बाहरी सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क में रहते हैं।

हमने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जिसके अनुसार किसी बैंक के न्यूनतम 70% क्रेडिट एक्सपोजर को कवर करना आवश्यक है। वित्त वर्ष 2023-24 से, पीएसबी का निदेशक मंडल शाखा लेखा परीक्षा और शाखाओं के चयन के कवरेज पर निर्णय लेगा। ऐसा करते समय, बोर्डों को अलग-अलग बैंकों की विशिष्ट विशेषताओं जैसे - बैंक के व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल, भौगोलिक प्रसार, प्रक्रियाओं के केंद्रीकरण का स्तर आदि को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम उम्मीद करते हैं कि बैंकों के निदेशक मंडल इन मुद्दों पर निर्णय लेते समय उच्चतम स्तर की सावधानी बरतेंगे। जहां तक निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा का संबंध है, हम ऐसी लेखा-परीक्षा की गुणवत्ता और दायरे का नए सिरे से मूल्यांकन कर रहे हैं।

रिज़र्व बैंक में कौशल और क्षमता निर्माण

रिज़र्व बैंक में हम अपने कर्मचारियों के कौशल निर्माण और क्षमता विकास को बहुत महत्व देते हैं। हम पर्यवेक्षण विभाग को संख्या और गुणवत्ता, दोनों में मजबूत कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए विशेष कौशल और परिपक्व निर्णय की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, हम उम्मीद करते हैं कि कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स अपनी प्रशिक्षण पद्धतियों में सुधार जारी रखेगा, अधिक केस स्टडी-आधारित शिक्षण को अपनाएगा, अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक व्यावहारिक सत्र आयोजित करेगा, और अपने प्रशिक्षण प्रयासों के प्रभाव का उद्देश्यपरक मूल्यांकन विकसित करेगा। प्रशिक्षुओं से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कार्यक्रम सामग्री में सुधार करने और पहचान की गई कमियों को भरने के लिए किया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कठिन तकनीकी कौशल सिखाने के साथ-साथ नेतृत्व, निर्णय लेने, समय प्रबंधन और संघर्ष समाधान जैसे सॉफ्ट स्किल को बढ़ावा दिया जा सकता है।

वित्तीय प्रणाली में तेजी से विकास और नवाचार, विशेष रूप से फिनटेक और डिजिटल उत्पादों के क्षेत्रों में नए अवसरों के साथ-साथ जोखिम भी पैदा हो रहे हैं। ये वित्तीय मध्यस्थता, भुगतान प्रणाली, साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावित कर सकते हैं। हमें इन उभरती प्रवृत्तियों के प्रभावों की निगरानी और आकलन को जारी रखना होगा, और साथ ही इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं और ढांचों को भी विकसित करना होगा।

हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि एनबीएफसी, फिनटेक और ऋण ऐप द्वारा डिजिटल ऋण का प्रसार हो रहा है। इस तरह के उधार अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आए हैं, विशेष रूप से उचित प्रथाओं और उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 में डिजिटल ऋण के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विनियमित संस्थाएं और उनके भागीदारों, जैसे कि - ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी), द्वारा विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से उधार देने की गतिविधियां संचालित की जाएं।

संक्षेप में

संक्षेप में, रिज़र्व बैंक भारतीय वित्तीय प्रणाली को भविष्य के लिए मजबूत करने और सतत विकास के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स द्वारा भारत और विदेश के विशेषज्ञों की सहभागिता के साथ वित्तीय लचीलापन पर आयोजित यह वैश्विक सम्मेलन लचीली वित्तीय प्रणालियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय मूल्य जोड़ेगा। मुझे बताया गया है कि निर्धारित विषयों पर कई शोध पत्र प्राप्त हुए हैं और चुनिंदा पत्रों को जर्नल ऑफ फाइनेंशियल रेजिलिएंस के पहले अंक का हिस्सा बनाया गया है, जिसे आज जारी किया गया था। मुझे विश्वास है कि सम्मेलन के दौरान होने वाले विचार-विमर्श से विचार करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण के विकास पर नए परिप्रेक्ष्य प्राप्त होंगे।

मैं सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं!

धन्यवाद।